वित्त निर्देश 52/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 1734/वित्त/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध का शिथिलीकरण ।

संदर्भ:- 1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 547/वित्त/बी-1/चार/2007 दिनांक 18.09.2007
2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 712/एफ-3/1/2004/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 13 मई, 2010
3. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 318/एफ-3/1/04/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 18.02.2011

राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी/ संस्थाओं आदि में नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संदर्भित ज्ञापनों द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं । इन निर्देशों के अनुसार वर्तमान में तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के कुछ पदों को छोड़कर अन्य सभी पदों पर नियुक्ति/भर्ती के लिए वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित नहीं हैं । इसी प्रकार बस्तर संभाग में किसी भी विभाग के किसी भी संवर्ग के पदों पर नियमानुसार नियुक्ति/भर्ती के लिए वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित नहीं हैं ।

2/ उक्त स्थिति के बाद भी अनेक विभागों में तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) तथा चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के बड़ी संख्या में स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों के कारण विभागों के कार्यो पर प्रभाव को देखते हुए इन रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि, आगामी आदेश पर्यन्त राज्य शासन के समस्त कार्यालयों के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत सेटअप में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत किन्तु रिक्त पदों को संबंधित विभाग के सेवा भर्ती नियमों के प्रावधानों एवं राज्य शासन द्वारा आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति आदि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने हेतु वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से शिथिल किया जाए । इन निर्देशों के फलस्वरूप शासकीय कार्यालयों द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति निम्न शर्तो के अधीन होगी :-

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश दिनांक 05 मार्च, 2008 अनुसार दैनिक वेतन अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत पात्र तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितिकरण हेतु आवश्यक पदों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा एवं पात्र कर्मचारियों का नियमितिकरण उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध ही नियमानुसार किया जाएगा ।

(ii) नियुक्ति/भर्ती करने के समय तक विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवश्यक पदों की पूर्ति उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध ही नियमानुसार की जाएगी ।

(iii) अतिशेष कर्मचारियों के समायोजन हेतु पदों की आवश्यकता की पूर्ति उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध ही शासन निर्देशानुसार की जाएगी ।

(iv) मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना हेतु पदों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी एवं निगमों/मंडलों में इनके संविलयन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

3/ यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक (i) से (iv) तक के प्रकरणों हेतु पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासकीय विभाग तथा विभागाध्यक्ष का दायित्व होगा । स्वीकृत सेटअप के अतिरिक्त अन्य पदों की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4/ ऐसे निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाएं जो राज्य शासन से स्थापना अनुदान/ब्लॉक ग्रांट प्राप्त नहीं करती हैं, उपरोक्त शर्तो के अधीन राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु स्वयं निर्णय लेंगी । इन पदों पर नियुक्ति के फलस्वरूप यदि राज्य शासन पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ना संभावित है तो ऐसे पदों को भरने हेतु राज्य शासन की पूर्व सहमति आवश्यक होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय सिंह)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग

पृ.क्रमांक 1735/वित्त/ब-4/चार, रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर, 2011

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग